सभी को मिलेगा बराबर मौका, नियमों व मर्यादाओं से चलेगा सदन : देवनानी

विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष का लंच ब्रेक का सुझाव, सभी दलों की सहमति

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितिय सत्र की बैठकें बुधवार से आरम्भ होंगी। इससे पहले मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। देवनानी ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है।

इस दौरान कई सुझाव आए उनमें से बैठक में सदन में पहले से चल रही पर्ची पर बोलने की व्यवस्था को फिर से लागू किये जाने। समितियों की रिपोर्ट पर बहस कराये जाने, महत्वपूर्ण मुद्दों को शून्यकाल से पहले अध्यक्ष के ध्यान में लाने और अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किये जाने के सुझाव भी आये।

देवनानी ने कहा कि सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आये जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुकूल प्रस्तुत करें, ताकि विधान सभा का नाम रोशन हो सके। देवनानी ने कहा है कि विधान सभा सदन नियमों व मर्यादाओं से चलेगा। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए कहा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

विधानसभा के सत्र की बैठक से पहले मंगलवार को अधक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सोलहवीं विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की है।

देवनानी ने बैठक में मध्यान्ह भोजन अन्तराल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक सभा की तर्ज पर विधान सभा में भी भोजन अन्तराल का निश्चित समय तय किया जा सकता है। इससे एक ही समय पर सभी विधायक भोजन कर सकेंगे और उसके बाद पुन: सदन में सभी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। देवनानी के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद सभी दल के प्रतिनिधियों ने इसे अच्छी पहल बताते हुए सहमति व्यक्त की। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रथम सत्र के 2054 प्रश्नों में से 92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हो गये है। अब 177 प्रश्नों के जवाब आना शेष है। देवनानी ने कहा कि यह शुभ लक्षण है। शेष रहे प्रश्नों के जवाब भी विधान सभा को शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है। बैठक में तय किया गया कि नया सत्र आरम्भ होने से पहले गत सत्र के सभी प्रश्नों के जवाब विधान सभा को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। समय सीमा में ही सदस्य अधिक से अधिक अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह दलों के नेताओं कि जिम्मेदारी होगी कि उनके दल का सदस्य सदन में अपनी बात को आवंटित समय में ही रखने का प्रयास करे। देवनानी ने कहा कि सभी सदस्यगण शालीनता से मुद्दे उठाये। देवनानी ने कहा कि यह सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाएँ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। इसके लिए यदि सदन को देर तक चलाने की आवश्यकता होगी तो सदन को देर तक चलाया जायेगा। उन्होनें कहा कि समस्याओं का हल बातचीत से होता है। सदन में समस्याओं के निस्तारण का प्रयास होगा। यहां पर सदस्यों की बातों को गम्भीरता से लिया जायेगा। उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जायेगा।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया कि प्रतिपक्ष सदन संचालन में सहयोग करेगा। प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में रखी गयी बातों को सरकार गंभीरता से ले। सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधान सभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उन्होनें बैठक में उपस्थित होने वाले पक्ष व प्रतिपक्ष के नेता का आभार ज्ञापित किया।

बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।

राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र हिंदु विरोधी : भजनलाल शर्मा

- 'हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर एक समुदाय विशेष को खुश करना चाह रहे राहुल गांधी'
- 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं है सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदु धर्म और हिंदुओं पर की गई घृणास्पद टिप्पणी पर पलटवार किया। इस दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बहुसंख्यक हिंदु समाज को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और लगातार तीसरी बार भी उनकी लॉंचिंग फेल रही। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण ही झूठ निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी ने अभिभाषण पर एक शब्द तक नहीं बोला, चर्चा के दौरान उन्होने केवल और केवल झूठ ही बोला। राहुल ने अपने भाषण में हिंदओं का घोर अपमान किया और हिंदु समाज को नफरती, हिंसक और झूठा बताया जो कि पूरी तरह निंदनीय और दयनीय है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि तुष्टिकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। कांग्रेस के नेता सदैव हिंदु समाज के खिलाफ बोलेते रहे हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने और वर्ष 2013 में तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताया जिसके बाद उन्हे माफी मांगनी पड़ी थी। संसद में बार बार ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि हिंदु कौन है? हिंदु वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला और सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करने वाला होता है। जीव प्रकृति जड़ चेतन में ब्रहम का साक्षात्कार करने वाला धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदभाव हो, विश्व का कल्याण हो ऐसे मंत्र को जीने वाला हिंदु प्राण मात्र में ईश्वर का वास देखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे जिसे वे तो महज पांच-सात साल से ही देखने लगे हैं। जबकि हिंदु परिवार में जन्मा बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान शिव की तस्वीर को अपने सीने में बसाकर रखता है, इसलिए किसी भी हिंदु को उनसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने तो सांसद पद की शपथ तक बिना ईश्वर के ली थी, अपनी ओछी राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये हिंदुओं को गाली देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के अग्निवीर योजना पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर राहुल गांधी ने अग्निवीर सैनिकों का अपमान किया है। संसद में अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के झूठ की पोल खोलते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर शहीद के परिजनों को एक करोड़ रूपये की राशि दी जाती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गये, लेकिन उन्हे सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होने लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की जो कि लोकतंत्र में बेहद गलत और दु:खद है। राहुल ने किसानों और अयोध्या पर भी झूठ बोला इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है।

'गौ तस्करी में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार किया जाए'

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह गौ तस्करी के मामले में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार करे। इन वाहनों को छोड़ने के बदले कलक्टर पूरी राशि जमा शर्त रखते हैं। अदालत ने कहा कि इन वाहनों को लंबे समय तक थाने में रखने से न केवल वाहन मालिक को नुकसान होता है, प्रदेश को राजस्व की हानि भी होती है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर व अन्य की चार याचिकाओं पर दिए।

अदालत ने गौ तस्करी कानून के तहत कलक्टर को सुनवाई के लिए सक्षम माना, लेकिन ऐसे वाहनों को लंबे समय तक जब्त रहने से राजस्व को होने वाले नुकसान के आधार पर राज्य सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है। याचिकाओं में भरतपुर, झालावाड़ और ब्यावर में कलक्टरों के गौ तस्करी में जब्त वाहनों को नहीं छोड़ने को चुनौती दी थी। कलक्टरों ने राजस्थान दुधारू पशु अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का हवाला देकर वाहन मालिकों के वाहन की कीमत जमा कराने पर ही वाहन छोड़ने की शर्त लगा दी थी। याचिकाओं में कहा गया कि वन अधिनियम में भी वाहन जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन वन अधिकारी की अपील पर किए गए निर्णय को रिवीजन के जरिए न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान है।

सोने की शुद्धता और मानकों की जानकारी के लिए चलेगा अभियान

जयपुर, (का.सं.)। सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता-मानकों में गड़बड़ी की सूचना/शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग को समन्वय के साथ काम करते हुए राज्य व्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता मामले मंत्री गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट-सोशियल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

गोदारा के निर्देशों के पश्चात उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा कार्य योजना बनायी जा रही है। इसी क्रम में दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 9 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक, कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से

हॉलमार्क लागू कर दिया है। इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देता है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और केरेट के साथ 6 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे।

भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक, कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किये जाने हेतु राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर पंजीकृत करायी जा सकती है।

फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देने वाले आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- एक, महानगर द्वितीय ने विदेशी महिला को हीरे के स्थान पर सस्ता पत्थर बेचने से जुड़े मामले में फर्जी लैब रिपोर्ट देने वाले आरोपी नंदकिशोर वाल्मीकि की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने बिना नापतोल और बिना उचित मशीनों से जांच के बिना फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की। जिसके चलते विदेशी महिला को करीब 4.50 करोड रुपए की हानि हुई है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो डायमंड को जांचा गया था, वह सही था और प्रार्थी ने उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की थी। ऐसे में उसे जमानत पर यह किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है।

'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने "डी-बार" कंपनी को क्यों दिया टैंडर?'

- मामले के तथ्यों के अनुसार, इस निविदा में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि, जो फर्म इस टैंडर में भाग लेगी, वह पिछले 3 वित्तीय वर्ष से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए थी। साथ ही पिछले 7 वर्षों से लगातार किसी सरकारी कंपनी अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रर्ड कंपनी को "कन्वेयर बेल्ट" बेचने वाली होनी चाहिए।
- याचिकाकर्ता कंपनी सोमी कन्वेयर्स बेल्टिंग्स लि. ने अदालत को बताया कि, निविदा में शामिल हुई एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ के दस्तावेजों में साफ जाहिर है कि एन.टी.पी.सी. ने इस कंपनी को 3 वर्ष के लिए "डी-बार" कर रखा है। इसके बावजूद विद्युत उत्पादन निगम ने कंपनी के पक्ष में "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी कर दिया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा विभिन्न पावर प्लांट्स में उपयोग के लिए "कन्वेयर बेल्ट" की खरीद के टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। विभाग ने इस टैंडर में एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के पक्ष में 10 जून 2024 को "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी किया था। जिसके खिलाफ निविदा में भाग लेने वाली एक अन्य कंपनी सोमी कन्वेयर्स बेल्टिंग्स लि. ने अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने सुनवाई के बाद टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई।

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ ने अधिवक्ता सुशील डागा, अनुराग कलावटिया और उनकी सहायक वकील पारूल सिंघल पैरवी के लिए पेश हुए थे।

मामले के तथ्यों के अनुसार, इस निविदा में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि, जो फर्म इस टैंडर में भाग लेगी, वह पिछले 3 वित्तीय वर्ष से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एन.टी.पी.सी) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही पिछले 7 वर्षों से लगातार किसी सरकारी कंपनी अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रर्ड कंपनी को "कन्वेयर बेल्ट" बेचने वाली होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि, निविदा में एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के दस्तावेजों में साफ जाहिर है कि एन.टी.पी.सी. ने इस कंपनी को 3 वर्ष के लिए "डी-बार" कर रखा है। यानि कि यह कंपनी टैंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती।

इसके बावजूद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक ने इस कंपनी पर मेहरबानी दिखाते हुए इसके पक्ष में "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी कर दिया। अदालत ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 5 सप्ताह बाद इस प्रकरण की सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी जायेगी।

'लो फ्लोर' बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत

- पति और बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी; गोनेर रोड पर बस ने रौंदा

जयपुर। खोह नागोरियान इलाके में लो-फ्लोर बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला पति व बच्चा घायल हो गया। गुस्साए लोगों ने बस रुकाई और चालक के साथ जम कर मारपीट की, जिस के बाद चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोग महिला को लेकर एसएमएस के ट्रोमा सेंटर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया जिसके बाद शव को एसएमएस मोर्चरी में रखवा दिया हैं।

पुलिस ने बताया कि गोनेर रोड के पास बाबाजी गेट के पास बस ने बाइक पर बैठी महिला को अपनी चपेट में लिया जिस से महिला का सिर बस के नीचे आ गया। इससे महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला रिजवाना (28) बाइक पर अपने पति निशार आलाम(32) और बच्चे अलसफा (डेढ साल) के साथ घर जा रही थी।

इस दौरान पीछे से स्पीड में आ रही लो फ्लोर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों नीचे गिरे। रिजवाना बीच सड़क पर गिरी। उसका सिर बस के पहियों के नीचे आ गया। बस उसे घसीटते हुए ले गई। मौके पर ही रिजवाना की मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर मुकेश को डिटेन कर लिया। रिजवाना का शव एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है। अलसफा के पैर में फ्रैक्चर है। निसार के सिर में चोट लगी है। दोनों एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बस गोनेर से वाटिका जा रही थी। निसार वेल्डिंग का काम करता है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस रुकवाई और चालक को खोह नागोरियान थाना पुलिस के सुपुर्द किया। महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

देखा जाए तो जयपुर शहर में लो फ्लोर बस के संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की है। इन बसों के स्टीयरिंग और ब्रेक फेल होने की पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। प्रबंधन मेंटेनेंस में लापरवाही बरत रहा है। 5 दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टनल के पास एक लो फ्लोर बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था। हादसे में बस ने एक बाइक सवार के दोनों पैरों को कुचल दिया था।

स्मार्टफोन का आई.एम.ई.आई. नंबर बदलने वाली शातिर गैंग पकड़ी

आरोपी रायसर प्लाजा में दुकान चलाते थे; गैंग उन फोन के नंबर को क्रेक करती, जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते थे

जयपुर (कासं)। राजधानी की कोतवाली थाना पुलिस ने स्मार्ट फोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके आईईएमआई नंबर को बदलने वाली गैंग के चार सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित उन फोन के नंबर को क्रेक करते थे, जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते थे। पुलिस जानकारी में सामने आया कि यह लोग कबाड़ और एक्सचेंज वाले फोन से ये सारा डाटा चुराते थे।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने रायसर प्लाजा में कार्रवाई करते स्मार्ट फोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके आईईएमआई नंबर को बदलने वाली गैंग के अतुल गुप्ता (36) निवासी सूर्यनगर गोपालपुरा महेश नगर, लोकेश गर्ग उर्फ लालू (30) निवासी महावीर कॉलोनी विस्तार करतारपुरा महेश नगर हाल मांग्यावास मानसरोवर, गौतम सैनी उर्फ गोलू (38) निवासी रविन्द्र नगर जगतपुरा प्रतापनगर और महेश मुरजानी (53) निवासी सेक्टर-16 प्रताप नगर को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपित रायसर प्लाजा में दुकान चलाते थे और इन लोगों ने आस-पास ग्रामीण इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से कम्प्यूटर, डेस्कटाप, लॉक तोड़ने और आईईएमआई नंबर क्रेक करने का सॉफ्टवेयर डिवाइस और 250 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए है। पुलिस को आरोपितों के कब्जे से करीब 100 से अधिक बदले गए मोबाइल के आईईएमआई नंबर का रिकॉर्ड ट्रेस आउट भी मिले है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते है और समय पर वे उसे चुका नहीं पाते हैं तो

- आरोपितों ने जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में भी अपने कस्टमर बना रखे थे।
- पुलिस ने कम्प्यूटर, डेस्कटाप, लॉक तोड़ने और आई.ई.एम.आई. नंबर क्रेक करने का सॉफ्टवेयर डिवाइस और 250 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए है।
- पुलिस को आरोपितों के कब्जे से करीब 100 से अधिक बदले गए मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर का रिकॉर्ड ट्रेस आउट भी मिला है।

उनका फोन लॉक हो जाता है। ऐसे में ये लोग कम्प्यूटर सिस्टम से मोबाइल का लॉक तोड़ देते और फिर आईईएमआई नंबर बदल देते थे। इससे पहले कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि रायसर प्लाजा में कुछ शॉपकीपर मोबाइल लॉक-अनलॉक करने और आईईएमआई नंबर क्रेक करने का काम कर रहते है। कोतवाली पुलिस ने डीएसटी नॉर्थ के साथ मिलकर रायसर प्लाजा में छापेमारी की। इनके पास कम्प्यूटर सिस्टम में (यूएमटी टूल, एमटीके-2, नया एएमटी, अनलॉक टूल-2, बोर्नियो, जेड डब्यू एक्स) सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। जबकि 20-25 हजार रुपये कीमत का हार्डवेयर डिवाइस (हार्डवेयर टूल यू एफएस, यू एफआई, ई एएसवाई जेटीएजी) का यूज करते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जरिए ये पूरा काम होता था। आरोपितों ने बताया कि जिस मोबाइल का आईएमईआई नंबर बदलना होता उसे पहले कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे। कम्प्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इन सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे फोन को रिस्टोर कर देते थे। इसके बाद जब इसमें मोबाइल की डिटेल मांगी जाती तो मॉडल नंबर और दूसरी जानकारी तो उसी फोन की रखते थे। लेकिन, जब आईईएमआई नंबर सॉफ्टवेयर मांगता तो ये किसी पुराने कबाड़ हुए या फिर एक्सचेंट में आए फोन के आईईएमआइ नंबर डाल कर उसे अपडेट कर देते थे। आरोपितों की दुकान से बड़ी संख्या में पुराने मोबाइल भी बरामद किए है।

जयपुर में 3200 किलो अचार-मुरब्बा जब्त, 1500 किलो नकली घी पकड़ा

जयपुर । प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई।

अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में अपेक्स सर्किल के पास श्रीनाथ अचार फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई की गई। यहां निरीक्षण के दौरान अनेक कमियां पाई गईं। फैक्ट्री में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक होने के साथ ही बिना निर्माण तिथि के केमिकल्स पाए गए।

फैक्ट्री में आंवला मुरब्बा के 18-18 किलो के 81 टिन तथा लाल मिर्च अचार के 15-15 किलो के 120 टिन मौके पर रखे हुए थे। विक्रेता ने बताया कि इन्हें हाथरस से खरीद कर लाया गया था, परंतु इन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण तिथि, निर्माता का नाम आदि सूचना अंकित नहीं थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेने के बाद माल को सीज किया गया।

इसी प्रकार फैक्ट्री में लाल मिर्च पाउडर के 10 बैग मिले, जिनमें 500 किलो लाल मिर्च पाउडर रखा हुआ था, जो अचार बनाने के काम लिया जा रहा था। इस मिर्च पाउडर की गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर एक नमूना लेने के पश्चात लाल मिर्च पाउडर को भी सीज किया गया। मौके पर एक प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 100 किलो कैर का अचार रखा हुआ था, जिसमें फफूंद लगी हुई थी। इसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त मौके से वेजिटेबल सॉस एवं मिक्स अचार का भी एक-एक नमूना जांच के लिए लिया गया, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मिली कमियों पर धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इसकी पालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार दूसरी बड़ी कार्रवाई में 1500 किलो नकली घी पकड़ा गया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि गुप्त सूचना पर इंटरसिटी ट्रैवल्स, पोलो विक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा एवं रतन गोदारा मौके पर पहुंचे तो पाया कि 1500 किलो नकली घी, जिसकी कीमत 290 रुपए किलो है, इंदौर में बनवाकर श्रीराम मिल्क फूड द्वारा जयपुर में झोटवाड़ा रोड स्थित पिंक सिटी टावर में मंगवाया गया था। इसे जयपुर शहर में बेचा जाना था। यह नकली घी ट्रैवल्स बसों से मंगवाया जा रहा था। नकली घी को सीज किया गया है।

श्रीराम मिल्क फूड द्वारा मिल्क क्रीम मदर चॉइस और मिल्क क्रीम के नाम से घी बनाया जा रहा था। श्रीराम मिल्क फॉर डेयरी इंडस्ट्रीज द्वारा इंदौर में घी बनाकर किसी और नाम की फर्म द्वारा झोटवाड़ा में ट्रेवल्स से लाकर बेचा जा रहा था।

पडौसी ने किया बच्चे से कुकर्म

जयपुर । रामगंज थाना इलाके में पडौसी युवक द्वारा काम के बहाने बुलाकर नाबालिग लड़के से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस को पीडित के पिता ने बताया कि 14 साल के बेटे को करीब 3 महीने पहले पड़ोसी ने काम के बहाने अपने घर बुलाया था। पड़ोसी ने डरा-धमकाकर बेटे के साथ कुकर्म किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। उसके बाद लगातार काम के बहाने अपने घर बुलाने लगा और गलत काम करता रहा। बेटे को तनाव में देखकर उससे दबाव डालकर कारण पूछा, तब बेटे ने आपबीती आपबीती सुनाई। आरोपी पड़ोसी की करतूत का पता चलने पर रामगंज थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भाजयुमो ने राहुल गांधी का पुतला जलाया

जयपुर । भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं से माफी मांगने की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिन्दुओं को हिंसक बताया और हिन्दुओं का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से हिन्दुओं के खिलाफ दिए गए इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी हाय हाय, गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, राहुल गांधी माफी मांगों जैसे नारे लगाए। इस दौरान जयपुर शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरूवंशी, विक्रम चौधरी, कमल स्वामी, भुवनेश गुप्ता, भीमराज मीणा, भरत सिंह, सुरज घोडीवाल, राजवीर राठौड, विजेंद्र महावा, अमित चौधरी, अर्पित शर्मा, पवन शर्मा, दीपक शर्मा, लोहित सिंह, आशीष शर्मा, हर्षित तिवाड़ी सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे।